

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4975/2026

Suresh Kumar Vishnoi S/o Ramlal Vishnoi, R/o Surta Ki Dhani,
Sankad, Ps. Sanchore, Distt. Sanchore (Raj.) (Presently Confined
In Central Jail Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Prince Pal Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

29/04/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— बेकरिया, जिला— उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 227/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 419, 420, 120बी भारतीय दंड संहिता, धारा 3, 4, 6, 6(a) राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन का प्रयोग) अधिनियम, 1992 व धारा 3, 6, 9, 10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापक) अधिनियम, 2022 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में यह आक्षेप है कि दिनांक 24.12.2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक, द्वितीय श्रेणी (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2022 के सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा से पूर्व प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्त गणपतलाल

विश्वनोई को अपनी परीक्षा से संबंधित मूल प्रवेश पत्र व आधार कार्ड उपलब्ध कराए और प्रार्थी/अभियुक्त का आशय उक्त परीक्षा में गणपतलाल विश्वनोई को अपनी ओर से डमी अभ्यर्थी के रूप में उक्त परीक्षा में बैठाने का था। इस संबंध में उनका यह तर्क है कि प्रकरण में परीक्षा आयोजित होने से पूर्व ही पुलिस द्वारा मौके पर उक्त परीक्षा के लीक पेपर के साथ सहअभियुक्त गणपतलाल विश्वनोई व अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था और उक्त परीक्षा तदुपरांत रद्द कर दी गई। अन्य सहअभियुक्त गणपतलाल विश्वनोई जिसके विरुद्ध प्रार्थी/अभियुक्त के स्थान पर डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठने के संदर्भ में आक्षेप थे उसकी जमानत संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में ही स्वीकार की जा चुकी हैं। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.01.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुए हैं। अन्य लगभग 65 सहअभियुक्तगण की जमानत याचिकाएं पूर्व में विचारण न्यायालय व समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है और अभियोग पत्र के अनुसार गवाहों की लंबी सूची है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में स्पष्ट रूप से यह तथ्य अभिलेख पर आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्त गणपतलाल विश्वनोई को अपना मूल प्रवेश पत्र व आधार कार्ड उपरोक्त परीक्षा में बैठाने हेतु उपलब्ध कराया और मुख्य अभियुक्त को मौके पर परीक्षा आयोजित होने से पूर्व अन्य सहअभियुक्तगण के साथ उक्त परीक्षा के लीक पेपर को पढ़ाते और हल कराते हुए पकड़ा गया। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2022 में पंजीबद्ध हुई है और प्रार्थी/अभियुक्त को वर्ष 2026 में गिरफ्तार हुआ है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त गंभीर आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। अन्य समानांतर सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में समकक्ष पीठ व विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड पंजीबद्ध नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सुरेश कुमार विश्नोई पुत्र रामलाल विश्नोई** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J